सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:— 80 / प्रा0पत्र / 2023 दायरा दिनांक :—14.06.2023

GCMS ID—2023 / 44

बउनवान

1. बद्रीलाल आयु 62 वर्ष आ० नोला जाति माली निवासी टांका की झोपड़ियां तहसील हिण्डोली जिला बूंदी राज०

प्रार्थी

बनाम

1. नन्दा पुत्र भूरा आयु 65 वर्ष जाति माली निवासी टांका की झोपड़ियां
2. रामनारायण पुत्र भूरा आयु 47 वर्ष जाति माली निवासी टांक की झोपड़ियां
3. कंवरीबाई पुत्री भूरा पत्नी कजोड़ जाति माली निवासी टांका की झोपड़ियां
4. छोटी पुत्री भूरा पत्नी छोटू जाति माली निवासी टांका की झोपड़िया हाल निवास रानीपुरा
5. मथुरा पुत्री भूरा पत्नी लाल जाति माली निवासी, टांका की झोपड़ियां हाल निवास आंकोलिया
6. रामकन्या पुत्री भूरा पत्नी बरधीलाल जाति माली निवासी टांका की झोपड़ियां हाल निवास आकोलिया
7. सोसर पुत्री भूरा पत्नी उद्दालाल जाति साली निवासी टांका की झोपड़िया हाल निवास अमरत्या
8. धापू बाई पत्नी स्व० भूरा जाति माली निवासी टांका की झोपड़ियां।
9. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब हिण्डोली

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत गलत तरमीम निरस्त हेतु।

वकील प्रार्थी :— श्री शम्भूदयाल शर्मा।

वकील अप्रार्थी :— श्री चन्द्रप्रकाश जैन।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी

निर्णय दिनांक :— 27 / 02 / 2026

उपरोक्त विषय में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि कृषि भूमि ख.स. 365 / 160 रकबा 0.8094 है० वाके ग्राम टांका की झोपड़िया तहसील हिण्डोली जिला बूदी में स्थित है जो प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। कृषि भूमि खा.स. 366 / 160 रकबा 0.8094 है० वाके ग्राम टांका की झोपड़िया तहसील हिण्डोली जिला बूंदी में स्थित है जो प्रार्थी के भाई भूरा आ० नोला की खातेदारी में दर्ज थी और भूरा की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 का

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। प्रार्थी की भूमि ख.स. 365/160 व अप्रार्थी के पिता व पति भूरा आ० नोला की भूमि ख.स. 366/160 पास–पास है। अप्रार्थी की भूमि ख.स. 366/160, ख.स. 364/160 के सहारे है व प्रार्थीगण की भूमि ख.स. 365/160 से पश्चिम की साईड पर अप्रार्थीगण की भूमि स्थित है। इस प्रकार प्रार्थी अप्रार्थी की भूमि से पूर्वी साईड पर काबिज है। प्रार्थी ने अपनी भूमि पर फसल की जानवरों से सुरक्षा हेतु चारों तरफ कांटों की बाढ़ व तार फैसिंग कर रखी है। तथा भूमि की सिंचाई हेतु बोरिंग करवा रखा है व विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है। प्रार्थी की भूमि के पश्चिम साईड पर स्थित अप्रार्थीगण की भूमि ख.स. 366/160 पर अप्रार्थीगण काबिज चले आ रहे है। अप्रार्थीगण से पूर्व उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण के पिता व पति भूरा आ० नोला काबिज चले आ रहे थे। पक्षकारों के मध्य कब्जे के संबंध में कोई विवाद नहीं है। लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा सभी खातेदारों की भूमि की नक्शे में तरमीम करने हेतु डीआरएलएमपी योजना चलाई गई। जिसके तहत सभी खातेदारों की भूमि की तरमीमें नक्शे में की गई है। तरमीम करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक निश्चित समय तय किया गया था लेकिन पटवार मण्डलों में पटवारियों की कमी होने व एक ही पटवारी के पास दो–दो पटवार मण्डल होने से पटवारी द्वारा मौके का भौतिक सत्यापन किए बिना ही दफ्तर में बैठकर भूमि की तरमीमें कर दी गई है। इसी क्रम में ग्राम टांका की झोपड़ियां में स्थित प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की भूमि पर अप्रार्थीगण की भूमि ख.स. 366/160 की गलत तरमीम कर दी और अप्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर प्रार्थी की भूमि ख.स. 365/160 की गलत तरमीम कर दी गई है। जबकि तरमीम का मुख्य आधार कब्जा होता है। और कब्जे के आधार पर ही तरमीम की जाती है। आवंटन के समय से अप्रार्थी भूमि ख. स. 364/160 के सहारे काश्त करता चला आ रहा है। इस प्रकार अप्रार्थीगण की भूमि ख.स. 364/160 व प्रार्थी की भूमि 365/160 के मध्य स्थित है। लेकिन नक्शे में तरमीम गलत कर देने से अप्रार्थीगण के मन में बदनियती आ गई है। जो तरमीम की आड़ में प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में मौके के कब्जे के संबंध में रिपोर्ट मंगवाई जाकर कब्जे से भिन्न स्थान पर ख.स. 365/160 व 366/160 की तरमीम को निरस्त कर कब्जे के अनुरूप तरमीम करने के आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अप्रार्थीगण ने मौके पर प्रार्थी की भूमि के सहारे स्थित वन विभाग की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है और वन विभाग की भूमि के सहारे प्रार्थी की खातेदार भूमि ख.स. 365/160 स्थित होने के बावजूद प्रार्थी की भूमि के स्थान पर अप्रार्थीगण की भूमि ख.स. 366/160 की गलत तरमीम करवा ली ताकि वन विभाग की भूमि व ख.स. 366/160 की भूमि

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

का एक चक बनाकर काश्त की जा सके। ऐसी स्थित में प्रार्थी के कब्जे काश्त व खाते की भूमि के स्थान पर अप्रार्थी की भूमि ख.स. 366/160 की गई तरमीम दुर्भावनापूर्वक करवाई गई है। जिससे तरमीम के गलत इंद्राज को निरस्त कर कब्जे के अनुरूप तरमीम करने के आदेश प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। दिनांक 30/03/2023 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को धमकी दी कि हमने तुम्हारे खाते व कब्जे के स्थान पर हमारी भूमि की तरमीम करवा ली है और अब हम तुम्हारे खाते व कब्जे के स्थान पर हमारी तरमीम हो जाने से तुम्हारे कब्जे के स्थान पर हम कब्जा करेंगे तब प्रार्थी ने नक्शे की नकल निकलवाई तब उक्त गलत तरमीम के इंद्राज की जानकारी प्रार्थी को हुई है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का कारण दिनांक 30/03/2023 को धमकी देने के उपरांत नक्शा ट्रेस की नकल निकलवाने पर हुआ है। प्रार्थी ने उक्त गलत तरमीम के इंद्राज को निरस्त करने व कब्जे के अनुसार तरमीम करने का तहसीलदार साहब से निवेदन किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय के आदेश के बिना तरमीम के गलत इंद्राज को निरस्त करने से इंकार कर दिया है। इसलिए प्रार्थी श्रीमान् के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान् को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है तथा नक्शा मानचित्र में हुए गलत इंद्राज को श्रीमान् को धारा 131 एल.आर. एक्ट के तहत दुरूस्त करने का अधिकार है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम टांका की झोपड़ियां पटवार मण्डल भवानीपुरा के मानचित्र नक्शा में ख.स. 366/160 व 365/160 के वर्तमान तरमीम के गलत इंद्राज को निरस्त किया जाकर कब्जे के अनुसार तरमीम करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की ओर से जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया।

प्रकरण में विवादित भूमि की कार्यालय नायब तहसीलदार, दबलाना से प्राप्त जांच रिपोर्ट पत्र कमांक :—राजस्व/26/2022 दिनांक 19.12.2025 अनुसार खसरा संख्या 365/160 ग्राम टांका झौपडिया प्रार्थी बद्रीलाल पुत्र नोला जाति माली के नाम खातेदारी दर्ज है एवं खसरा संख्या 366/160 नन्दा पुत्र भूरा वगै0 के नाम खातेदारी में दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका स्थिति व मौके पर प्राप्त जानकारी अनुसार वर्तमान में मौके पर प्रार्थी बद्री का कब्जा खसरा संख्या 366/160 पर व

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

अप्रार्थी नन्दा वगै0 का कब्जा खसरा संख्या 365/160 पर है। उक्त तरमीम नक्शे लठ्ठे में नहीं होकर डी0आई0एल0आर0एम0पी0 के दौरान हुई है। नक्शे में की हुई तरमीम व मौके पर वर्तमान कब्जे का नजरी नक्शा संलग्न है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत "सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्डबुक रखी जावेगी व प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येंक गांव या गांव के बाहर भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्डबुक में की बतलाई जावे, सही करने के प्रावधान दिए हुए हैं।"

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। जो कि प्रार्थना पत्र/जबाव प्रार्थना पत्र के अनुसार रही है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध मौका जांच रिपोर्ट कर अवलोकन कर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र खसरा संख्या 365/160 की गलत हो रही तरमीम की दुरूस्ती बाबत पेश किया है। मुताबिक रिपोर्ट नायब तहसीलदार दबलाना के खसरा संख्या 365/160 व 366/160 की तरमीमें खातेदारों के कब्जे अनुसार नहीं होकर डी0आई0एल0आर0एम0पी0 में परस्पर विपरित हो जाने से प्रार्थी व अप्रार्थी के कब्जे काश्त अनुसार प्रस्तावित संलग्न नजरी नक्शे अनुसार की जानी है। अतः प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि **खाता संख्या 28** के खसरा संख्या 365/160 व खाता संख्या 30 के खसरा संख्या 366/160 वाके ग्राम टांका की झौपडिया पटवार मण्डल भवानीपुरा की वर्तमान में राजस्व नक्शे में हुई तरमीमों को निरस्त किया जाकर पुनः **खाता संख्या 28** के खसरा संख्या 365/160 व खाता संख्या 30 के खसरा संख्या 366/160 की तरमीमें प्रार्थी/अप्रार्थी के कब्जे अनुसार व नायब तहसीलदार दबलाना के प्रस्ताव अनुसार करने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 27.02.2026 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया। 27/02/2026

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446